

बोर्ड,परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा मूल्यांकन, समिति का गठन किया गया है, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश संलग्न है । राज्य शासन द्वारा नर्मदा नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया है । जिसकी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट के कार्य एवं दायित्व शीर्षक के अर्न्तगत दी गयी है ।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स भोपाल.

क्रमांक 33 ए/जी/सदस्य(अभि)नधाविप्रा/89

भोपाल, दिनांक 23.12.89

—:: ♦ आदेश ♦ ::—

उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों को सम्मिलित कर “ निविदा मूल्यांकन समिति ” का गठन किया जाता है। यह समिति सभी निविदा प्रकरणों का परिक्षण कर अपने निष्कर्षों के साथ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/नर्मदा नियंत्रण मण्डल को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

सदस्य (अभि.) न.घा.वि.प्रा.	सदस्य
सदस्य (प्लानिंग) न.घा.वि.प्रा.	सदस्य
सदस्य (वित्त) न.घा.वि.प्रा.	सदस्य
संयुक्त सचिव, न.घा.वि.वि.	सदस्य
मुख्य अभियंता जिनसे संबंधित प्रकरण हो	सदस्य
मुख्य अभियंता (रूपांकन) न.घा.वि.प्रा.	सदस्य

(आर.एस.खन्ना)

उपाध्यक्ष

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

प्रष्ठांकन क्र. 33-बी/जी/एम.ई(सेल)/नधाविप्रा./89

भोपाल - द0 23.12.1989

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, नधाविप्रा, भोपाल ।
 2. सदस्य (अभि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
 3. सदस्य (योजना) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
 4. सदस्य (वित्त) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
 5. संयुक्त सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग बल्लभ भवन भोपाल ।
 6. मुख्य अभियंता, इं.सा.परि.(बांध) सिविल लाईन खण्डवा ।
 7. मुख्य अभियंता, इं.सा.परि.(नहरें) सनावद ।
 8. मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा परिक्षेत्र बरगी हिल्स जबलपुर ।
 9. मुख्य अभियंता, लोअर नर्मदा परियोजनाएं सापिंग काम्पलेक्स इन्दौर ।
 10. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
 11. मुख्य अभियंता, पी.एच.ई. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
 12. मुख्य अभियंता, डिजाईन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम.एस.बिल्लोरे)

सदस्य (अभियांत्रिकी)

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

**नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स भोपाल.**

क्रमांक 15/सेक्स/33/जी/सदस्य(अभि)नघाविप्रा/89/614

भोपाल, दिनांक 20.11.92

—:: ♦ कार्यालयीन आदेश ♦ ::—

“ निविदा मूल्यांकन समिति ” जिसका गठन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 33/ए/जी/सदस्य(अभि)नघाविप्रा/89/के तहत निविदाओं के प्रकरणों का परीक्षण कर उसके निष्कर्षों को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/नर्मदा नियंत्रण मंडल को विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक परिवर्तन कर “ निविदा मूल्यांकन समिति ” का पूर्व में निर्धारित दायित्व को बढ़ाते हुये और निम्नलिखित कार्य को भी देखेगी।

1. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/नर्मदा नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत होने वाली सभी निविदा प्रकरणों का परीक्षण कर उनके निष्कर्षों को विचारार्थ प्रस्तुत करना।
2. अतिरिक्त मद तथा अतिरिक्त मात्रा के ऐसे सभी प्रकरण जो डब्ल्यू आर डी क्रमांक 8/27/86/एम/3 दिनांक 20.10.87 के आदेश तहत मुख्य अभियंता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है का सूक्ष्म परीक्षण कर उनकी अनुशंसाओं को अध्यक्ष नघाविप्रा. को प्रस्तुत करना।
3. ठेकेदारों के उन सभी दावा प्रकरणों को जो इसलिये उपस्थित हुये हैं जो पूर्व में नघाविप्रा अथवा ठेकेदारों के द्वारा अनुबंध तैयार करते समय ध्यान में न अये हो को भी शामिल कर उनके स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित अध्यक्ष, नघाविप्रा. को प्रस्तुत करना।

समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. उपाध्यक्ष न.घा.वि.प्रा. | अध्यक्ष |
| 2. सदस्य (वित्त) | सदस्य |
| 3. सदस्य (अभि.) | सदस्य |
| 4. सदस्य (पुनर्वास) | सदस्य (लो.नि.वि. शाखा से संबंधित मुद्दों के लिये) |
| 5. सदस्य (पर्याएवंवन) | सदस्य (पी.एच.ई. शाखा से संबंधित मुद्दों के लिये) |
| 6. अतिरिक्त सचिव, नघाविप्रा. | सदस्य |
| 7. संबंधित परियोजना के मुख्य अभियंता | सदस्य |
| 8. मुख्य अभियंता डिजाईन नघाविप्रा. | सदस्य (सचिव) |

सही
उपाध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, नघाविप्रा, भोपाल ।
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, नघाविप्रा, भोपाल ।
3. सदस्य (पुनर्वास / अभि. / वित्त / पर्याएवंवन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
4. अतिरिक्त सचिव नघाविप्रा. जी.ओ.एम.पी. भोपाल ।
5. मुख्य अभियंता इं.सा.परि.खण्डवा / सनावद / नि.न.परि.इन्दौर / रा.अ.बा.सा.परि.जबलपुर / अ.न. जोन जबलपुर ।
6. मुख्य अभियंता (डिजाईन) नघाविप्रा.भोपाल ।
7. सचिव,नघाविप्रा. भोपाल
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित ।

सही

उपाध्यक्ष

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल

**नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स भोपाल.**

क्रमांक 1024 / 27 / नघविप्रा / (अभि)नघाविप्रा / जी / 91

भोपाल, दिनांक 26.9.94
3.10.94

--: ♦ कार्यालयीन आदेश ♦ --:

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 33 / ए / जी / सदस्य (अभि) नघाविप्रा / 89 / दिनांक 23.12.89 से निविदा मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था जो निविदाओं के प्रकरणों का परीक्षण कर उसके निष्कर्ष के साथ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण / नर्मदा नियंत्रण मंडल को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

उसके पश्चात् उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर नघाविप्रा. के आदेश क्रमांक 15 / सेक्सन / 33 / जी / सदस्य / अभि / नघाविप्रा / 89 / 614 भोपाल, दिनांक 20.11.92 से निविदा मूल्यांकन समिति के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की गयी। इस संबंध में शासन को लिखा गया है तथा राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त होना है।

उपरोक्त सभी आदेशों को विलोपित करते हुये आगामी आदेशों तक " निविदा मूल्यांकन समिति " निम्नलिखित कार्य देखेगी।

1. निविदाओं के प्रकरणों का परीक्षण कर उसके निष्कर्षों को नघाविप्रा / ननिमं. / को विचारार्थ प्रस्तुत करना।
2. अतिरिक्त मद / अतिरिक्त मान्त्र के प्रकरणों का जो निविदा प्रपत्र " ए " ओर " बी " के अंतर्गत नघाविप्रा. का आदेश क्र. 82 / नघाविप्रा / अभि / जी / 91 दिनांक 21.6.91 के आदेश के तहत मुख्य अभियंता के अधिकार क्षेत्र के बहार हो सुक्ष्म परीक्षण करना तथा अनुशंसा कर अध्यक्ष न.घा.वि.प्रा.को प्रस्तुत करना।
3. ठेकेदारों के दावा प्रकरण जो ठेकेदारों को प्रदाय किये गये निविदा प्रपत्र "अ" या "ब" के अंतर्गत किये गये कार्यों जो न.घा.वि.प्रा. एवं ठेकेदारों द्वारा अनुबंध तैयार करते समय ध्यान में न आये हो को अनुशंसा कर स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना। यदि उक्त कार्य के ठेके को स्वीकृत कर सकने वाले सक्षम अधिकारी।

समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- | | |
|--|---|
| 1. उपाध्यक्ष न.घा.वि.प्रा. | अध्यक्ष |
| 2. सदस्य (वित्त) | सदस्य |
| 3. सदस्य (अभि.) | सदस्य |
| 4. सदस्य (पुनर्वास) | सदस्य (लो.नि.वि. शाखा से संबंधित मुद्दों के लिये) |
| 5. सदस्य (पर्याएवंवन) | सदस्य (पी.एच.ई. शाखा से संबंधित मुद्दों के लिये) |
| 6. सदस्य (ऊर्जा) | सदस्य (ऊर्जा शाखा से संबंधित मुद्दों के लिये) |
| 7. अतिरिक्त सचिव, म.प्र. शासन नघाविप्रा. | सदस्य |
| 8. संबंधित परियोजना के मुख्य अभियंता | सदस्य |
| 9. मुख्य अभियंता डिजाईन नघाविप्रा. | सदस्य (सचिव) |

**सही—
रणजीतसिंह
अध्यक्ष**

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल
पृ.क्र. क्रमांक 1024 / 27 / नघाविप्रा / (अभि)नघाविप्रा / जी / 91 भोपाल, दिनांक 26.9.94
3.10.94

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, नघाविप्रा, भोपाल ।
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, नघाविप्रा, भोपाल ।
3. सदस्य (पुनर्वास/अभि./वित्त/पर्याएवंवन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल ।
4. सचिव नघाविप्रा. भोपाल ।
5. समस्त मुख्य अभियंता नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ।
6. सचिव, नघाविप्रा. भोपाल
..... की ओर सूचनार्थ ।

सही—
रणजीतसिंह
अध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल